



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

Website www.uniraj.ac.in, Email: acad.2uor@gmail.com

क्रमांक: शैक्षणिक द्वितीय/2024/ 2464

दिनांक: 03/02/2024

प्राचार्य,
श्री कृष्णा शिक्षक टी.टी. कॉलेज,
टी.वी. टॉवर के पीछे, बसई रोड,
कोटपूतली, जयपुर।
E.Mail. skttcollegektp@gmail.com

विषय:—आपके महाविद्यालय के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी/छात्र कमलेश वर्मा का पूर्व में प्रवेश महाराजा हमीर कॉलेज सवाई माधोपुर (UOK) में हुआ था परन्तु कुछ कारणों से प्रार्थी छात्र का स्थानान्तरण जयपुर में स्थित श्री कृष्णा टी.टी. कॉलेज (कोटपूतली) जयपुर (UOR) में कर दिया गया था। उक्त महाविद्यालय में प्रार्थी छात्र ने B.Ed का प्रथम वर्ष पूर्ण किया तथा द्वितीय वर्ष की राशि रु. 26,880/- भी उक्त महाविद्यालय में जमा करवा दी थी। परन्तु द्वितीय वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही कोर्ट के आदेशानुसार उसका स्थानान्तरण पुनः महाराजा हमीर कॉलेज में हो गया और इस कॉलेज में भी मैंने द्वितीय वर्ष की राशि रु. 27,000/- जमा कराई है। इस प्रकार प्रार्थी छात्र की द्वितीय वर्ष की राशि 2 बार जमा हुई थी। प्रार्थी छात्र ने आपके महाविद्यालय में जमा करवाई गई राशि रु. 26,880/- को लौटाये जाने का निवेदन किया है। (छाया प्रति संलग्न है)

अतः आपको सूचित किया जाता है कि प्रार्थी/छात्र के द्वारा आपके महाविद्यालय में जमा करवाई गई राशि रु. 26,880/- के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए उक्त शिकायत के संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण 07 दिवस में प्रस्तुत करें। अन्यथा आपके महाविद्यालय पर विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

K. S. 23.2.2024
उप-कुलसचिव
(शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय)